कार्यालय – जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी

शाखा– बिहार शिक्षा परियोजना, सीतामढ़ी | Br.-BIHAR EDUCATION PROJECT, STM.-843301.

पत्रांक : EE/284

सीतामढ़ी, दिनांक 24/03/2021

सेवा में,

संचालक / प्राचार्य,
ज्ञान गंगा विद्यापीठ, दोस्तपुर,
बथनाहा, सीतामढ़ी।

विषय : बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 8 अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण–पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके द्वारा संचालित निजी विद्यालय ज्ञान गंगा विद्यापीठ, दोस्तपुर, बथनाहा के प्रस्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन की स्थलीय जाँच के उपरांत भेजे गए जाँच प्रतिवेदन में अंकित मंतव्य प्रस्तुत किये गये अंकेक्षण एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, NCPCR 2006 में निहित प्रावधानों एवं बिहार स्टेट फायर सर्विस एक्ट 2014 संबंधी स्व–घोषणा पत्र के आधार पर संयोजक, प्रस्वीकृति समिति द्वारा विचारोपरांत **कक्षा 01 से कक्षा 08** के लिए शैक्षणिक सत्र **2021–2022, 2022–23** अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है। आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या **SIT/BAT/016/EE/21** है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 08 (आठ) तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 01 (एक) में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा। नामांकन हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा सूचना सार्वजनिक की जाएगी एवं इच्छुक बच्चों का नामांकन RTE के अन्तर्गत नियमानुसार करते हुए बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय को हर हाल में मई के प्रथम सप्ताह में बच्चों की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी।
4. कंडिका– 3 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय को अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे :–
   - क. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी वर्ग में रोक कर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
   - ख. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
   - ग. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   - घ. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में आपके द्वारा प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
   - ङ. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

ATTESTED
Kapil deo Prasad
Manager
Gyan Ganga Vidyapith
Dostpur, Sitamarhi

28 BEP SSA

ATTESTED
Principal
Gyan Ganga Vidyapith
Dostpur, Sitamarhi

च. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, सिर्फ प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा ही विद्यालय में पठन–पाठन का कार्य किया जाएगा।
छ. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
ज. शिक्षक निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुशरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धत मानकों एवं मापदण्डों को बरकारार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत है :–
विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत है :–
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– 205 डी०
    i. कुल निर्मित क्षेत्र – 32 डी०
    ii. खेल के मैदान का क्षेत्र – 80 डी०
    iii. वर्ग कक्षों की कुल संख्या – 14
    iv. प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय भंडार कक्ष – 02
    v. बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय – 28
    vi. पेयजल की सुविधा – हाँ
    vii. मध्याह्न भोजन के लिए रसोईघर बाधा रहित पहुँच – हाँ
    viii. शिक्षण अधिगम सामग्री / खेल–कूद उपकरण / पुस्तकालय – हाँ
    ix. अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता – हाँ
    x. NCPCR के मानकों का अनुपालन – हाँ
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा संरचनाएँ, मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा। यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टेड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष बिहार शिक्षा परियोजना, सीतामढ़ी को अचूक रूप से उपलब्ध करायी जाएगी।
16. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, सीतामढ़ी के द्वारा समय–समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों को पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

ATTESTED
Kapil deo Prasad
Manager
Gyan Ganga Vidyapith
Dostpur, Sitamarhi

ATTESTED
Principal
Gyan Ganga Vidyapith
Dostpur, Sitamarhi

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
–सह–सचिव
प्रस्वीकृति समिति, सीतामढ़ी।